भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2692

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय बढ़ाना

2692. श्री मोहम्मद आजम खां:

श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्तमान में किसानोंकी औसत मासिक/वार्षिक आय की जानकारी हैऔर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त आंकड़ों कोइक्ट्ठा करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है और यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की आय बढ़ानेहेतु गत तीन वर्षों के दौरान कोई प्रयास किया हैऔर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों केफलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है औरयदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पिछले तीनवर्षों के दौरान उन किसानों की संख्या कितनी हैजिनकी आय दोगुनी हुई है तथा तत्संबंधी राज्यएवं जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) अगले तीन वर्षों में लक्ष्य को प्राप्त करनेहेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) तथा (ख): देश में कृषि परिवारों की औसत आय का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा समय-समय पर संचालित 'कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण' के माध्यम से किया जाता है। 2013 में किए गए ऐसे नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार अखिल भारतीय औसत मासिक आय 6426/- रूपए आकलित की गई है।

(ग) जी, हां। सरकार उत्पादन केंद्रित उपागम की अपेक्षाआय केंद्रितउपागम की ओर अंतरित करके कृषि क्षेत्र को पुनर्भिमुखीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दिशा में,राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ,निम्नलिखित शामिल हैं: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

(पीएमकेएसवाई); मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना; नीम लेपित यूरिया (एनसीयू); परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई); राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम); प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा); एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम आयॅल मिशन (एनएमओओपी); राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए); राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एनएमएईटी) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। इसके अलावा, सरकार ने फसलों की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर 50 प्रतिशत के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को निर्धारित करने के सिद्धांत को अपनाया है।

इसके अलावा, पूरे देश में सभी कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करनेके उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामत: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य उच्चतम आय से संबंधित कुछ वर्गों को छोड़कर प्रत्येक किसान को 2,000 रूपए की तीन किश्तों में 6,000 रूपए का भुगतान करना है।

(घ) तथा (ड़): चूंकि कृषि परिवारों की आय पर अंतिम सर्वेक्षण का कार्य 2013 में किया गया था, अत:, विगत तीन वर्षों के दौरान आय में वृद्धि की सीमा की जानकारी नहीं है। तथापि, सरकार ने कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस 77वीं पारी (जनवरी 2019-दिसंबर 2019) के दौरान अगले 'कृषि परिवारों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण' का कार्य करने का निर्णय लिया है ताकि कृषि परिवारों की आय एवं व्यय सहित देश में उनकी स्थिति के संबंध में एक सघन मूल्यांकन प्रदान किया जा सके।

(च): सरकार ने अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था ताकि 'किसानों की आय को दोगुना करने' से संबंधित पहलुओं की जांच की जा सके तथा उसे प्राप्त करने के लिए एक सघन नीति की सिफारिश की जा सके। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने कृषि क्षेत्र को एक मूल्यवर्धित उद्यम के रूप में मान्यता दी है तथा वृद्धि के 7 मुख्य स्रोतों की पहचान की है अर्थात फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग क्षमता अथवा उत्पादन लागत में बचत; फसलीय तीव्रता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधिकरण; किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्यों में सुधार तथा कृषि का गैर-कृषि व्यवसायों की ओर अंतरण।

*****